प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.

# प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं. ...07/2022.......दिनांक...11/1/2022

2. (I) अधिनियमः- धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018 व 120बी भा0दं0सं0

   (II) अधिनियम ............... धारायें .........................

   (III) अधिनियम ............... धारायें .........................

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ..................................................(अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या 274....... समय ...5.35 pm.........

   (ब) अपराध घटने का दिन- सोमवार, दिनांक 10.01.2022 समय 05.33 पीएम

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..... समय ........ पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :- ढाणी जालपाला, (गैसकान), पुलिस थाना भाभरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब उत्तर दिशा करीब 75 किमी

   (ब) बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना .......................................................जिला .................

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-

   (अ) नाम- श्री संजय कुमार चौधरी

   (ब) पिता/पति का नाम- स्व. श्री कैलाश चंद चौधरी

   (स) जन्म तिथी- उम्र- 23 वर्ष

   (द) राष्ट्रीयता - भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या ....................................जारी होने की तिथि

   जारी होने की जगह ...........................................

   (र) व्यवसाय - खेतीबाड़ी।

   (ल) पता- निवासी ढाणी जालपाला (गैसकान), पो. भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

(1) श्री विहान कुमार रावत पुत्र श्री भगवान सहाय रावत, उम्र 30 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम श्यामपुरा, थाना विराटनगर, जयपुर हाल सहायक-द्वितीय, फीडर इंचार्ज, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आंतेला मुख्यालय भाभरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

(2) श्री विक्रम सैनी पुत्र श्री रामजीलाल सैनी उम्र 25 वर्ष, जाति सैनी, निवासी ढाणी गैसकान भाभरू, थाना भाभरू, जिला जयपुर हाल बिजली का कार्य (प्राईवेट व्यक्ति)।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).

   ..........................................................................................

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- 15,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .......................................

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 4-01-2022 को परिवादी श्री संजय कुमार चौधरी पुत्र स्वं श्री कैलाश चंद चौधरी, उम्र 23 वर्ष, निवासी ढाणी जालपाला (गैसकान), पो. भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत पेश करी कि ''श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण जयपुर विषय रिशवत लेते हुए रगे हाथ पकड़वाने के बाबत। महोदय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। मेरे चाचाजी श्री सोहन लाल जाट तथा हम लोग एक साथ हमारे खेत पर बने हुए दो कमरो मे सयुक्त परिवार के रूप मे रह रहे हैं, हमारे उक्त घर पर घरेलु लाईट का कनक्शन नही है। उक्त घर पर लाइट का कनेक्शन मेरे चाचाजी श्री सोहन लाल जाट जी के नाम से लेने हेतु मै हमारे गांव के पास विधुत विभाग भाबरू जाकर मिले थे जहाँ पर लाइनमैन श्री विहानरावत मीला जिसने हमारे कनक्शन की फाइल मैरे से ले ली तथा फाइल का खर्चा 2000 रू दिनांक 21-12-2021 को ले लीये इसके बाद मै उक्त लाईनमैन से मिला तो उसने दिनांक 24-12-2021 को विधुत विभाग में फाइल जमा करवाने की 100 रूपया की रसिद मुझे दे दी थी मैने कनक्शन के बारे मे उनसे पुछा तो उक्त लाईनमैन ने डिमाण्ड नोटिस के पेसे जमा करवाने के अलावा 25,000 रूपया रिशवत के मांगे है। मेने कनेक्शन हेतु कहाँ तो उक्त लाइनमैन ने कहाँ की श्रम्छ साब मेरे भाई लगते है इसलीये सारी जिमेदारी मेरी है, मेने सबसे बात कर रखी है। उक्त भ्रष्ट लाइनमैन को रिश्वत नही देना चाहता कारवाई करने की कृपा करे। प्रार्थी एसडी/- संजय कुमार चौधरी S/0 स्व श्री कैलाश चंद चौधरी ढाणि-जालपाला (गैसकान) पो. भाबरू, तह. विराटनगर जिला जयपुर राज. मो 6378741731 दिनांक 4-1-2022''। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत का पाया जाने पर दिनांक 4-1-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो परिवादी से श्री विहान कुमार द्वारा 20000/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए 15000/- रूपये रिश्वत के पहले देने तथा शेष 5000/- रूपये डिमाण्ड नोटिस राशि जमा कराने के बाद देने हेतु कहा। उक्त रिकार्ड वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडी तैयार की गई।

दिनांक 6-1-2022 को परिवादी श्री संजय कुमार चौधरी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया जिससे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री संजय कुमार चौधरी ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15,000/- रूपये प्रस्तुत किए है। जिन पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष श्रीमती सुनीता महिला कानि0 43 से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया जाकर मांग के अनुसरण मे आरोपी को देने हेतु परिवादी श्री संजय कुमार चौधरी को सुपुर्द किए गए। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुदर्गी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। परन्तु आरोपी द्वारा परिवादी के बिजली कनेक्शन का डिमाण्ड नोटिस जारी नही होने के कारण दिनांक 7-1-2022 को बुलाने के कारण परिवादी से रिश्वत के रूपये वापस प्राप्त कर एक लिफाफे मे रखकर कार्यालय की आलमारी में रखवाए गए।

दिनांक 7-01-2022 को समय 10.50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री संजय कुमार चौधरी, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ मय ट्रेप बॉक्स मय सामान सरकारी के सरकारी वाहनो सहित ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर भाभरू तहसील विराटनगर, जिला जयपुर पर पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया परन्तु आरोपी द्वारा किसी कार्य से व्यस्त होने के कारण परिवादी को सोमवार, मंगलवार को बुलाने का कहा। जिस पर वापस ब्यूरो कार्यालय आए।

दिनांक 10-1-2022 को आरोपी के द्वारा परिवादी को बुलाने पर समय 3.20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्रीमती सुनिता महिला कानि0 43 से कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखवायी गई रिश्वती राशि का लिफाफा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष निकलवाकर स्वयं के पास सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया। समय 3.25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ के ट्रेपबॉक्स मय सामान सरकारी के सरकारी वाहनो से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर भाबरू स्थित होटल हाईवे किंग के पास पहूंचे। जहां पर परिवादी श्री संजय कुमार चौधरी उपस्थित मिला। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 43 से उसके बैग में रिश्वत के लिफाफे को निकलवाकर लिफाफे से रिश्वत के